भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *99

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना

***99. श्रीमती साजदा अहमद :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नियुक्तियों, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कतिपय उपबंधों को निरस्त किए जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (एनटीसी) की स्थापना करने का है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा अधिकरणों की न्यायिक स्वतंत्रता और उन पर कार्यपालिका के नियंत्रण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

माननीय संसद सदस्य श्रीमती साजदा अहमद द्वारा राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना के संबंध में पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *99, जिसका उत्तर तारीख 24.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूओआई, 2021 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1018 के मामले में तारीख 19.11.2025 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त निर्णय के पैरा-142 के माध्यम से, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ उपबंधों को रद्द कर दिया है ।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त निर्णय सहित उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय अधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्तियों, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर लागू होते हैं ।

इसके अतिरिक्त, जब कभी भी सांविधिक उपबंध अधिनियमित किए जाएंगे, तो, अन्य बातों के साथ-साथ, माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और अधिकरणों की न्यायिक स्वतंत्रता सहित इस विषय पर दिए गए निदेशों को भी समग्र रूप से ध्यान में रखा जाएगा ।
